प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राजस्थान
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (BLC)
सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2023–24

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT), Govt. of Rajasthan
समाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर (राजस्थान)
Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-227033
Website: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राजस्थान	01
	1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी	02
	1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उद्देश्य	02
	1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की विशेषताऐं	03
	1.4 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास **Beneficiary-Led Construction (BLC)**	03
	1.5 कार्यान्वयन एजेन्सी	05
2	सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश **(MANDATE)**	06
3	सामाजिक अंकेक्षण : परिचय	07
	3.1 सामाजिक अंकेक्षण	07
	3.2 सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**	08
4	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राजस्थान का सामाजिक अंकेक्षण	09
5	अंकेक्षण दलों का गठन	11
6	अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण	12
7	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) **BLC** के सामाजिक अंकेक्षण के बिंदु	13
8	सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण एवं टिप्पणी	14
9	परियोजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का प्रतिशत	22
10	अनियमितताओं की औसत संख्या (26 परियोजनानुसार)	23
11	अनियमितताओं के 9 मुख्य बिन्दुओं का पाई चार्ट	23

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राजस्थान

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है, क्योंकि उस समय तक देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से विकलांग समूहों, महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित अल्पसंख्यक लोगों जैसे विशिष्ट जनसांख्यिकी के लिए आवास उपलब्ध कराना भी है।

इस पहल के तहत भारत के शहरी गरीबों के लाभ के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण विधियों का उपयोग करते हुए, चुनिंदा शहरों और कस्बों में किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पी.एम. आवास योजना के तहत लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए भी पात्र हैं यदि वे घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण का उपयोग करते हैं।

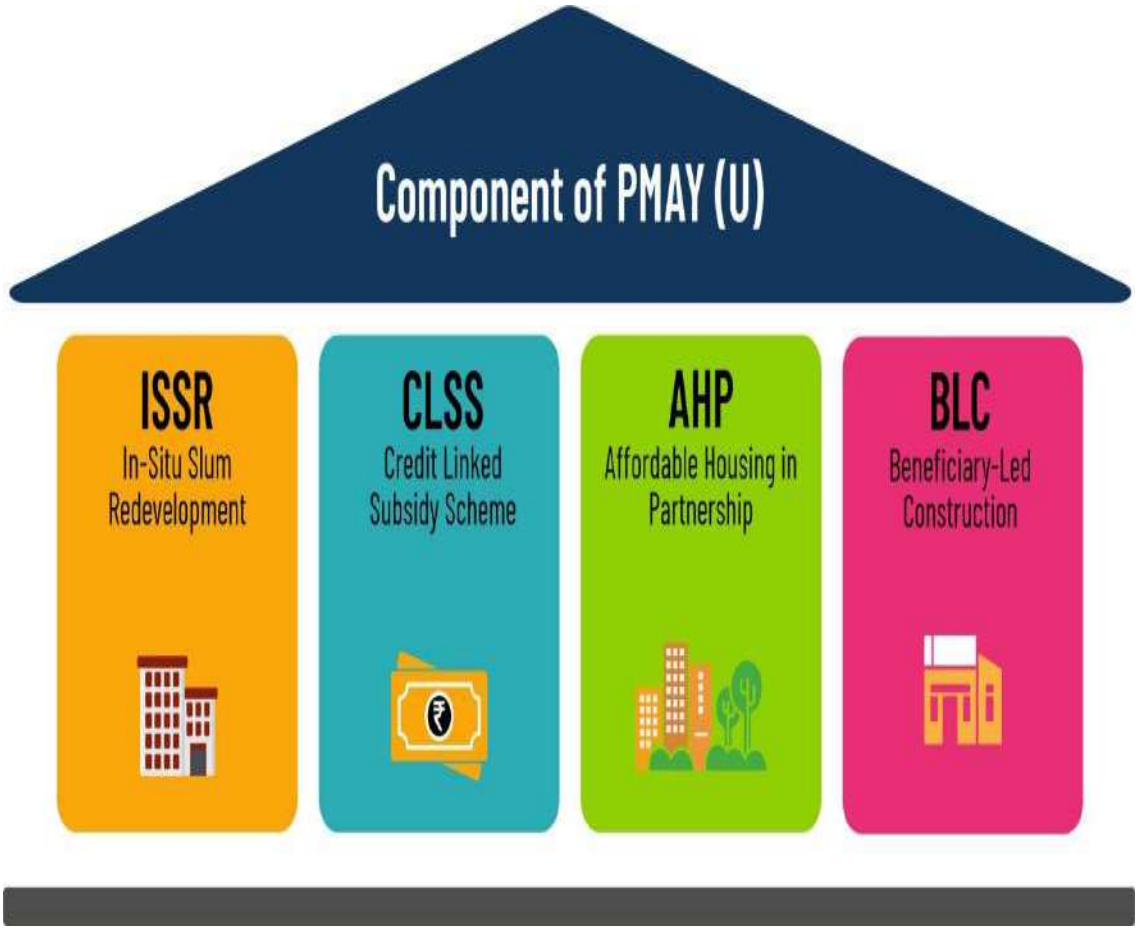

1.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी

एक लाभार्थी परिवार में पत्नी, पति, अविवाहित पुत्रियां और/या अविवाहित पुत्र शामिल होंगे। एक लाभार्थी परिवार देश के किसी भी हिस्से (भारत) में अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य की ओर से पक्के घर का मालिक नहीं होना चाहिए।

1.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी गरीब लोगों, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या वह बेघर है, उन्हें सरकार द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र परिवार को स्वंय का घर उपलब्ध कराना रखा गया था।

गरीब वर्गों के लिए वर्ष 2022 तक दो करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिन्दा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत प्रदान किए गए घरों को एक वयस्क महिला सदस्य के नाम पर अथवा पुरुष के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व किया जाएगा।

1.3 प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की विशेषताऐं

20 साल की अवधि के लिए प्रत्येक लाभार्थी को आवास ऋण पर प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दी जाने वाली सब्सिडी ब्याज दर 6.50% प्रति वर्ष है।

भूतल के विभाजन में वरिष्ठ नागरिकों के साथ–साथ विकलांग नागरिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग को वरीयता दी जाएगी। निर्माण सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।

इस योजना में देश के पूरे शहरी क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें 4041 विधायी कस्बों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी के 500 शहरों को प्राथमिकता दी गई है। यह 3 चरणों में होने जा रहा है। पीएम आवास योजना क्रेडिट–लिंक्ड सब्सिडी सुविधा भारत में सभी विधायी शहरों में शुरुआती चरणों से शुरू की गई है।

1.4 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास Beneficiary-Led Construction (BLC)

मिशन का चौथा घटक मिशन के अन्य घटकों का लाभ लेने में अक्षम लाभार्थियों को शामिल कर स्वयं उनके द्वारा नए आवासों के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के सुधार के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से संबद्ध वैयक्तिक पात्र परिवारों को सहायता देता है। इस मिशन के अन्तर्गत ऐसे परिवार नए आवासों के निर्माण अथवा विद्यमान आवासों के विस्तार के लिये 1.5 लाख रू. की केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सहायता की राशि रू.30,000 की अंतिम किस्त आवास के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही जारी की जाती है।

इस सहायता प्राप्ति का इच्छुक लाभार्थी उनके स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध मे पर्याप्त दस्तावेजों के साथ शहरी स्थानीय निकायों से सम्पर्क करेगा। ऐसे लाभार्थी स्लमों में अथवा स्लमों के बाहर रहने वाले हो सकते हैं। पुनर्विकसित नही किये जा रहे स्लमों के लाभाथियों जिनके पास कच्चा या अर्ध–पक्का आवास है को इस घटक के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय लाभार्थी द्वारा दी गयी सूचना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी आवास की भवन निर्माण योजना को प्रमाणित करते हैं जिससे भूमि के स्वामित्व तथा लाभार्थी के अन्य ब्यौरे जैसे– आर्थिक स्थिति और पात्रता का पता लगाया जा सके। इसके अलावा नए आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थी की परिणामी पात्रता सुनिश्चित करने के लिये लाभार्थियों हेतु कच्चा, अर्ध–कच्चा आदि जैसे आवासों की स्थिति की जांच सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) आंकड़ों के साथ की जाती है। लाभार्थी की आवासों में वृद्धि की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कमरों की संख्या, परिवार के सदस्यों आदि से संबंधित एस.ई.सी.सी. आंकड़ों की भी जांच की जाती है।

इन आवेदनों के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय नगर विकास योजना (सी.डी.पी.) अथवा शहर की ऐसी योजनाओं के अनुसार ऐसे वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए एक एकीकृत शहर व्यापी आवास परियोजना यह सुनिश्चित करते हुए तैयार करते है कि प्रस्तावित आवासों का निर्माण शहर के आयोजना मानको के अनुरूप है तथा स्कीम का कार्यान्वयन एकीकृत रूप मे हुआ है। सहायता हेतु व्यक्तिगत आवेदकों पर विचार नही किया जाता है। एसी परियोजनाएं एस.एल.एम.एम.सी. में राज्यों द्वारा अनुमोदित की जाती है।

व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये परियोजना को अनुमोदन देते समय शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लाभार्थी के स्वयं के योगदान भारत सरकार सहायता, राज्य सरकार सहायता आदि सहित विभिन्न स्रोतों से नियोजित आवास के निर्माण हेतु अपेक्षित वित्त–पोषण उपलब्ध है। किसी ऐसे मामलों मे आवास के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता जारी नही की जाएगी जिसमें निर्माण की शेष लागत संबद्ध नही है अन्य रूप से अधूरे निर्मित आवासों के मामले मे भारत सरकार सहायता राशि जारी हो सकती है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा शहर भी ऐसे व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु वित्तीय योगदान दे सकते है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता परियोजनाओं मे विहित लाभार्थियों के बैंक खातों मे जमा की जाती है।

चूंकि इस घटक के लिये सहायता सहित राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से धनराशि एकमुश्त जारी की जाएगी तथापि राज्य सरकार को आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर 3–4 किस्तों मे लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की जाती है। लाभार्थी स्वयं की धनराशि अथवा किसी अन्य निधि का प्रयोग करते हुए निर्माण आरम्भ कर सकता है तथा व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा निर्माण के अनुपात मे भारत सरकार सहायता जारी की जाएगी। भारत सरकार द्वारा सहायता की राशि रू.30,000/– की अंतिम किस्त आवास के पूर्ण हो जाने के पश्चात ही जारी की जाती है।

ऐसे व्यक्तिगत आवासो की प्रगति का पता भू–चिह्नित (जियो–टैग्ड) छायाचित्रों के माध्यम से लगाया जाता है ताकि प्रभावी रूप से प्रत्येक आवास की निगरानी की जा सके। राज्यों को जियो–टैग्ड छायाचित्रों के माध्यम से ऐसे आवासों के निर्माण का पता लगाने के लिए एक प्रणाली के विकास की आवश्यकता होती है। इस मिशन के लाभार्थी उन्मुख निर्माण अथवा संवर्द्न घटक में उपायों को दर्शाती अनुक्रम तालिका इस प्रकार है–

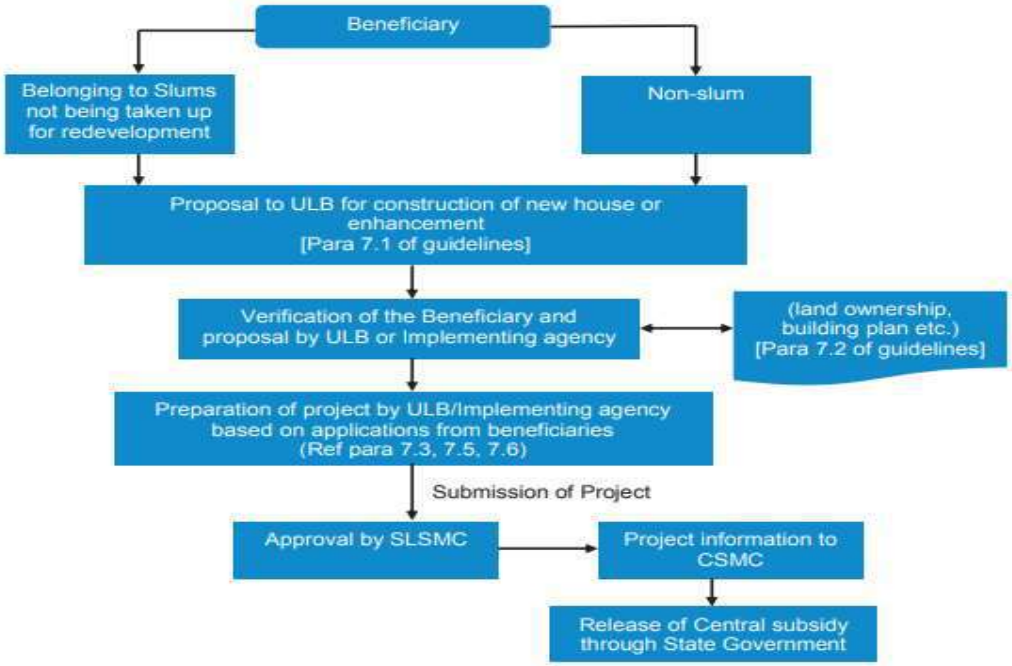

1.5 कार्यान्वयन एजेंसी

राजस्थान राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**RUDSICO**) कार्य कर रही है।

2. सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश **(MANDATE)**

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु आवास और शहरी मामलात मंत्रालय के आदेश क्रमांक एन–11026/06/2014–पीपीजी/एफटीएस–11733 दिनांक 26.06.2015 तथा राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के आदेश क्रमांक रूडसीको/पी.डी.(हा)/जयपुर 2022–23/1931 दिनांक 07.10.2022 के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण किया जाने का प्रावधान किया गया है, मुख्य सचिव द्वारा इस अंकेक्षण कार्य हेतु सामजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान को अधिकृत किया गया है।

BLC NEW, कोटा यू.आई.टी. वार्ड सभा

3. सामाजिक अंकेक्षण : परिचय

3.1 सामाजिक अंकेक्षण

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ति करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय हेतु राजस्थान के भीलवाडा में जन सुनवाई हुई। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, की समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। मनरेगा के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के चरण निम्नानुसार है–

3.2 सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015/2021/MGNREGA Vii/pt- दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता (Society for Social Audit, Accountability and Transparency) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में सोसायटी के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मिल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, पन्द्रहवें वित्त आयोग के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राजस्थान का सामाजिक अंकेक्षण

- **दिनांक 27.7.2021** : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित आवासो का सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लेते हुए शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासो का सामाजिक अंकेक्षण कराने पर सहमति प्रदान करने, विभाग द्वारा जारी आवश्यक परिपत्र एवं दिशा निर्देश की प्रतियॉ उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया।

- **दिनांक 07.10.2022 :** कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत आवासों का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को अधिकृत किया गया।

- **दिनांक 06.12.2022** : कार्यकारी निदेशक (Housing) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 1272 पूर्ण निर्मित BLC (Benificiary Led Construction) प्रोजेक्ट का सामाजिक अंकेक्षण करवाने का निवेदन किया ताकि उन्हें भारत सरकार से तीसरी एवं अंतिम किश्त प्राप्त हो सके।

- **दिनांक 12.09.2023** : सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार कर परियोजना निदेशक (आवास) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) को अनुमोदनार्थ भिजवाया गया।

- **दिनांक 04.10.2023** : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण निर्मित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक आवासों के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया एवं नगर निकायों की परियोजनाओं की सूची पर विस्तृत चर्चा हेतु परियोजना निदेशक (आवासन), रूडसिको, जयपुर के कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी सामाजिक अंकेक्षण हेतु दायित्व निर्धारित किये गए।

- **दिनांक 14.02.2024** : राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा पत्र क्रमांक रूडसिको/पी.डी(हा)/ पी. एम. ए. वाई–यू/सोशियल ऑडिट/जयपुर/2023–24/2181 दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु राज्य के 17 जिलों में 26 परियोजनाओं के

अन्तर्गत 2391 पूर्ण निर्मित BLC आवासों की सूची प्रेषित की गई एवं इस सम्बन्ध में होने वाले अनुमत व्यय का विवरण चाहा गया। जिसके एवज में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) द्वारा 15.02.2024 को राशि रू. 5,37,850 का विस्तृत्व प्रस्ताव परियोजना निदेशक (आवास) को प्रेषित किया जिसके अनुसार 2391 निर्मित आवासो का सामाजिक अंकेक्षण करवाने पर होने वाले व्यय की गणना की गयी।

- **दिनांक 22.02.2024** : कार्यकारी निदेशक (Housing) राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत संरचना कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा राशि रूपये 5,37,850 के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- **दिनांक 01.03.2024** : रूडसिको जयपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के संसाधन व्यक्तियों को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- **दिनांक 05.03.2024** : सोसायटी द्वारा कार्यकारी निदेशक (रूडसिको) को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित आवासों के सामाजिक अंकेक्षण प्रथम चरण के लिये दिनांक 07.03.2024 से 09.03.2024 तक राज्य के दो जिलों में प्रस्तावित सामाजिक अंकेक्षण का कलैण्डर प्रेषित किया गया।

- **दिनांक 07.03.2024** : सोसायटी द्वारा कार्यकारी निदेशक (रूडसिको) को प्रधानमंत्री आवास योजन (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित आवासों के सामाजिक अंकेक्षण द्वितीय चरण के लिये शेष 15 जिलों का दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 तक कलैण्डर प्रेषित किया गया।

कार्यकारी निदेशक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बी.एल.सी. आवासों के सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु पूर्व प्रक्रिया से अवगत करवाया–

- सामाजिक अंकेक्षण हेतु कलेण्डर का निर्माण।
- सामाजिक अंकेक्षण दलो को प्रशिक्षण एवं अंकेक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध कराना।
- सामाजिक अंकेक्षण दलो को मानदेय के भुगतान की गणना।
- कार्यकारी संस्था द्वारा प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति जो अंकेक्षण दलो को सहयोग प्रदान करेंगे।
- सामाजिक अंकेक्षण कार्य के उपरांत वार्ड सभा का आयोजन।
- सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट अपलोड करने की प्रक्रिया।
- सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में सामने आयी अनियमितताओं पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही।

सभी सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स को सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा गूगल लिंक **https://forms.gle/x1AbqDmGEU8u2djv5** (SOCIAL AUDIT REPORT PMAY URBAN BLC HOUSE YEAR 2023-24) पर अपलोड किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

5. अंकेक्षण दलों का गठन

राजस्थान के 17 जिलों में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत **BLC आवासों के 26 परियोजनाओं के 2391** पूर्ण निर्मित आवासों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु निम्नानुसार दलों का गठन किया गया –

क्र. सं.	जिले का नाम	शहर का नाम	परियोजना का नाम	सामाजिक अंकक्षण हेतु चयनित आवासो की संख्या	अंकेक्षण दलो की संख्या	गूगल लिंक पर अपलोड रिपोर्ट्स की संख्या
1.	अजमेर	ब्यावर	BLC N-289 BEAWAR REVISED	**113**	**03**	**03**
		सरवार	BLC N-193 SARWAR REVISED	**87**	**02**	**02**
2.	बारां	बारां	BLC-N 257 BARAN	**67**	**02**	**02**
		बारां	BLC N-612 BARAN REVISED	**58**	**02**	**02**
		छबड़ा	BLC-N 315 CHHABRA	**89**	**02**	**02**
		मांगरोल	BLC-N 123 MANGROLE	**54**	**02**	**02**
3.	बाड़मेर	बालोतरा	beneficiary led construction	**83**	**02**	**02**
4.	भरतपुर	नदबई	Enhancement 183 OF Houses In Nadbai	**52**	**02**	**02**
5.	बीकानेर	देशनोक	BLC-N 318 DESHNOK	**103**	**03**	**03**
6.	बूंदी	लाखेरी	BLC N-120 LAKHERI REVISED	**54**	**02**	**02**
7.	धौलपुर	राजाखेड़ा	BLC N 840 Revised DUs Rajakhera	**253**	**07**	**07**
8.	हनुमानगढ़	रावतसर	BLC-N 425 RAWATSAR	**150**	**04**	**04**
		सांगरिया	BLC-N 270 SANGARIA	**58**	**02**	**02**
9..	जालोर	सांचोर	BLC N-548 SANCHORE REVISED	**150**	**04**	**04**
10.	झालावाड़	भवानीमण्डी	BLC-N 140 BHAWANI MANDI	**53**	**02**	**02**
11.	झुंझुनू	नवलगढ़	BLC-N 315 NAWALGARH	**125**	**03**	**03**
12.	जोधपुर	पिपाड़ सिटी	BLC-N 169 PIPAR CITY	**75**	**02**	**02**
		पिपाड़ सिटी	BLC-E 122 PIPAR CITY	**60**	**02**	**02**
13.	कोटा	इटावा	BLC N 186 DUs	**74**	**02**	**02**
		कोटा	BLC NEW	**172**	**04**	**04**
		रामगंजमंडी	BLC-N 218 RAMGANJ MANDI	**92**	**03**	**03**
		सांगोद	BLC-N 167 SANGOD	**70**	**02**	**02**
14.	नागौर	नागौर	BLC E-255 NAGAUR REVISED	**66**	**02**	**02**
15.	पाली	पाली	BLC New Project for EWS329	**91**	**02**	**02**
16.	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	BLC-N-204-Sawaimadhopur	**70**	**02**	**02**
17.	टोंक	टोडारायसिंह	BLC New Project for 157	**72**	**02**	**02**
योग			**26**	**2391**	**67**	**67**

6. अंकेक्षण कार्य का पर्यवेक्षण :–

सामाजिक अंकेक्षण दलों का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) कार्यालय से माह मार्च 2024 में 3 राज्य संसाधन व्यक्तियों की ड्यूटी 2 जिलों में लगाई गई। सामाजिक अंकेक्षण प्रथम चरण में जिला झालावाड़ में एक राज्य संसाधन व्यक्ति एवं द्वितीय चरण में जिला कोटा में 3 राज्य संसाध व्यक्तियों द्वारा पर्यवेक्षण किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण के प्रथम चरण में दिनांक 07.03.2024 से 09.03.2024 तक एवं द्वितीय चरण में दिनांक 11.03.2024 से 14.03.2024 तक सम्पन्न हुए सामाजिक अंकेक्षण कार्य में 17 जिलों में 26 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 2391 बी.एल.सी. आवासों का सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण किया गया।

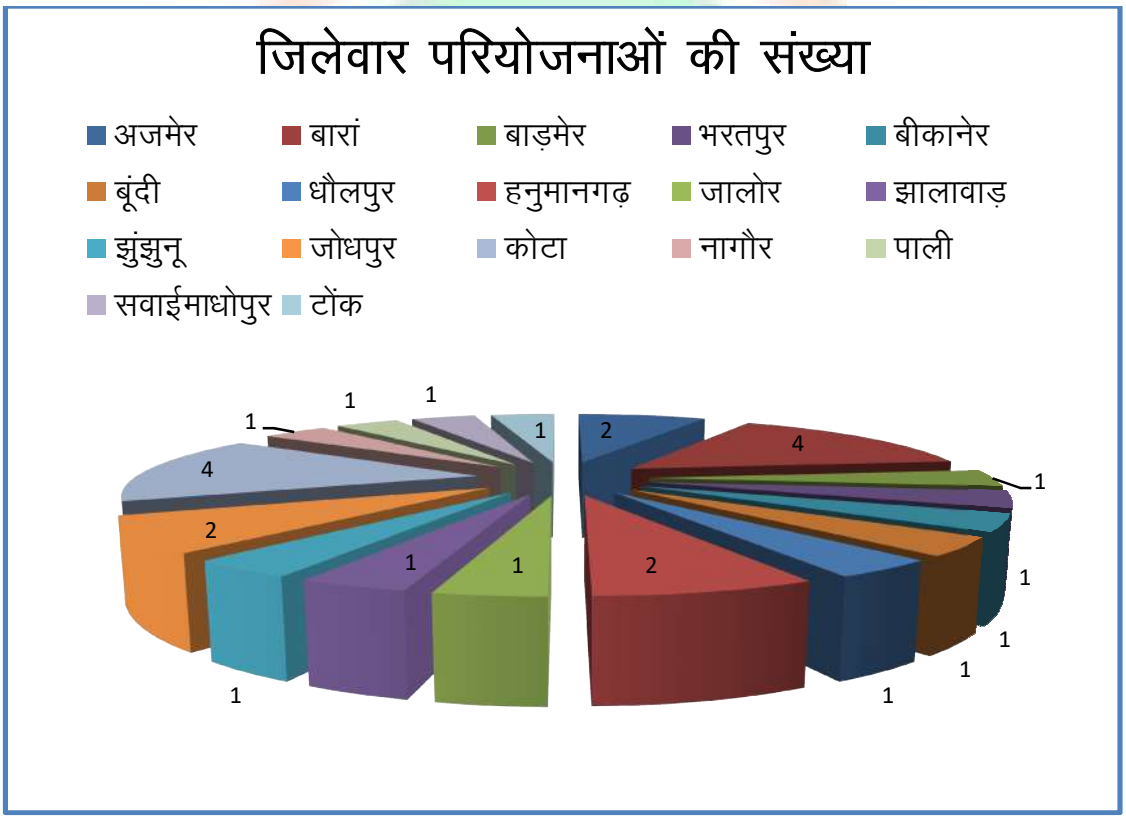

7. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) BLC आवासों के सामाजिक अंकेक्षण के बिंदु

1.	**जागरूकता (Awareness)**	लाभार्थियों में जागरूकता है अथवा नहीं। मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता है अथवा नही।
2	**समावेश (Inclusion)**	आवास योजना में अजा / अजजा / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / अलग रूप से सक्षम व्यक्ति / ट्रांसजेन्डर / हाथ से मैला ढोने वाले / महिलाओं आदि का समावेश किया गया है अथवा नही।
3	**भागीदारी (Participation)**	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श किया गया अथवा नही। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति।
4	**प्रभावशीलता और दक्षता (Effectiveness and Efficiency)**	1. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान की गई है अथवा नही। 2. आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानकों एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण हुआ अथवा नही। 3. लाभार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट है अथवा नही।
5	**पारदर्शिता (Transparency)**	स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना की विस्तृत जानकारी मय वित्तीय जानकारी के साथ सार्वजनिक की गई है अथवा नही।
6	**गुणवत्ता एवं निगरानी (Quality and Monitoring)**	1. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यों वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व है अथवा नही। 2. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर की गई कार्यवाही : 3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सी.एल.टी.सी. कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा किया गया अथवा नही।
7	**जवाबदेही (Accountability)**	1. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय किये गये अथवा नही। 2. शिकायत निवारण परतंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता है अथवा नही। 3. नगरीय निकायो/कार्यकारी एजेन्सीयों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके सामाधान की अवधि :
8	**मुद्दे और शिकायतें (Issues and Complaints)**	क्या कोई अनसुलझे मुद्दे और शिकायत है? यदि हॉ तो विवरण :
9	**सिफारिशे :**	अंकेक्षण दलों की सिफारिशें
10	**आवास शहरी में आधारभूत सुविधाएं**	1. आवास में बिजली कनेक्शन है अथवा नही 2. आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध है अथवा नही

8. सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण एवं टिप्पणी

क्र. सं.	शहर का नाम	परियोजना का नाम	सामाजिक अंकेक्षण दल	प्रत्येक दल द्वारा अंकेक्षित आवास	सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएं एवं सामाजिक अंकेक्षण दल की टिप्पणी
1	ब्यावर	BLC N-289 BEAWAR REVISED	दल.1	45	1. कुछ आवासों पर सूचना बोर्ड नही लगा हुआ था। 2. कुछ मकानो का निवास हेतु उपयोग नही किया जा रहा है।
			दल .2	45	अधिकांश व्यक्तियों को योजना का लाभ मिलना बाकी है।
			दल .3	23	अधिकांश आवासों पर सूचना बोर्ड के स्थान पर अस्थायी बैनर लगाए हुए हैं।
2	सरवर	BLC N-193 SARWAR REVISED	दल .1	45	1. लाभार्थियों में जागरूकता नही है। 2. मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता नही है। 3. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 4. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 5. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 6. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 7. कुछ आवासों में नल एवं बिजली कनेक्शन नही है। 8. कुछ आवासों पर सूचना बोर्ड का अभाव सूचना बोर्ड पर अपूर्ण जानकारी, सूचना बोर्ड के स्थान पर पोस्टर का प्रयोग किया गया है। 9. कुछ आवासों में योजना के केटेगरी के नियम व शर्तों की पालना नही की गई है। 10. कुछ आवासों की वर्क फाइलों में दस्तावेजों की कमी पायी गई। 11. लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि अपूर्ण पाए गए।
			दल .2	42	1. लाभार्थियों में जागरूकता नही है। 2. मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता नही है। 3. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 4. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 5. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 6. कुछ आवासों में नल एवं बिजली कनेक्शन नही है। 7. कुछ आवासों पर सूचना बोर्ड का अभाव सूचना बोर्ड पर अपूर्ण जानकारी, सूचना बोर्ड के स्थान पर पोस्टर का प्रयोग किया गया है।

					8. कुछ आवासों में योजना के केटेगरी के नियम व शर्तों की पालना नही की गई है। 9. कुछ आवासों की वर्क फाइलों में दस्तावेजों की कमी पायी गई। 10. लाभार्थियों के आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि अपूर्ण पाए गए।
3	बारां	**BLC-N 257 BARAN**	दल .1	45	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है।
			दल .2	22	1. लाभार्थी मुरारी लाल मेरोठा के फाइल में व सूचना बोर्ड में ID क्रमांक में अन्तर पाया गया। 2. लाभार्थी भूपेन्द्र सिंह/नाथू सिंह के मकान पर सूचना बोर्ड नही मिला।
4	बारां	**BLC N-612 BARAN REVISED**	दल .1	29	1. मकान पूर्ण हो चुका है एवं लाभार्थियों को अन्तिम किस्त का भुगतान नही हुआ है।
			दल .2	29	NIL
5	छबडा	**BLC-N 315 CHHABRA**	दल .1	45	सभी आवास पूर्ण हो चुके हैं एवं लाभार्थियों को अंतिम किस्त का भुगतान नही हुआ है।
			दल .2	44	परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यों वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है।
6	मांगरोल	**BLC-N 123 MANGROLE**	दल .1	27	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में सूचनापट्ट आवासों के अन्दर लगे हुए हैं।
			दल .2	27	1. कुछ आवासों में सूचनापट्ट आवासों के अन्दर लगे हुए हैं। 2. लाभार्थि हनिफा बेगम के नाम एवं लाभार्थि संख्या 0308800613592468873 में अन्तर पाया गया।
7	बालोतरा	**beneficiary led constructio n**	दल .1	45	1. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गई है। 2. आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानकों एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुआ। 3. लाभार्थी की आवश्यकताओ को पूर्ण करने में परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है। 4. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 5. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियो पर कार्यवाही नही की गई। 6. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सीएलटीसी कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया जाता है। 7. वार्ड सभा की कार्यवाही के दौरान प्रभारी अधिकारी एवं नगर पर्रिषद के सभापति सभा बीच में छोड़कर चले गए।
			दल .2	38	1. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गई है। 2. आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानकों एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुआ। 3. लाभार्थी की आवश्यकताओ का पूर्ण करने में परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है। 4. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 5. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियो पर कार्यवाही नही की गई।

					6. वार्ड सभा के पश्चात वार्ड सभा प्रभारी श्री अखाराम नगर परिषद बालोतरा नें प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 7. वार्ड सभा की कार्यवाही के दौरान प्रभारी अधिकारी एवं नगर पर्रिषद के सभापति सभा बीच में छोड़कर चले गए।
8	नदबई	**Enhancement 183 OF Houses In Nadbai**	दल .1	26	1. 5 आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. 5 आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3. 10 आवासों में सूचना बोड़ नही लगा हुआ था एवं फर्श प्लास्तर भी नही था।
			दल .2	26	1. एक आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. दो आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3. तीन आवासों में दरवाजे नही लगे हुए थे। 4. चार आवासों में आवास का लोगो नही लगा हुआ था।
9	देशनोक	**BLC-N 318 DESHNOK**	दल .1	45	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3. आवासों का उपयोग नही हो रहा है। 4. गाइडलाइन के अनुसार आवास 30 पट्टी का होना चाहिये जबकि दो आवास क्रमशः 16 व 21 पट्टी के मिले।
			दल .2	29	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3.कुछ आवासों पर प्लास्तर नही था। 4.कुछ आवासों का उपयोग नही हो रहा है।
			दल .3	29	कुछ आवासों में शौचालय नही बना हुआ था।
10	लखेरी	**BLC N-120 LAKHERI REVISED**	दल .1	27	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है।
			दल .2	27	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. 20 प्रतिशत आवासों में पेयजल की व्यवस्था नही थी।नगर पालिका प्रशासन को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अवगत करवाया गया।
11	राजाखेडा	**BLC N 840 Revised DUs Rajakhera**	दल .1	45	05 आवासों में बिजली कनेक्शन नही है।
			दल .2	45	NIL
			दल .3	45	1. 12 आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. 12 आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।
			दल .4	30	07 आवासों में बिजली–पानी की समस्या पाई गयी।
			दल .5	30	1. 7 आवासों में बिजली–पानी की समस्या पाई गयी। 2. 4 आवासों में पेयजल की सुविधा नही थी।
			दल .6	29	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।
			दल .7	29	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।
12	रावतसर	**BLC-N 425 RAWATSAR**	दल .1	45	NIL
			दल .2	45	1. एक आवास में दरवाजा नही लगा हुआ है।।
			दल .3	30	NIL
			दल .4	30	NIL
13	संगरिया	**BLC-N 270 SANGARI**	दल .1	29	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया।

		A			2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है।
			दल .2	29	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है।
14	सांचोर	BLC N-548 SANCHORE REVISED	दल .1	45	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. मुद्दे और शिकायत–अनसुलझे मुद्दे और शिकायत है।
			दल .2	45	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श की प्रवृति एवं आवृति नही है। 2. मुद्दे और शिकायत–अनसुलझे मुद्दे और शिकायत है।
			दल .3	30	NIL
			दल .4	30	NIL
15	भवानीमण्डी	BLC N-140 BHAWANI MANDI	दल .1	30	वार्ड सभा के दौरान एक लाभार्थी श्रीमती सोमेती बाई निवासी पचपहाड़ आवास ID 030880062059090987 के आवास में आदिनांक तक विद्युत कनेक्शन नही हुआ बताया गया।
			दल .2	24	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।
16	नवलगढ़	BLC-N 315 NAWALGARH	दल .1	45	NIL
			दल .2	40	NIL
			दल .3	40	1. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गई है। 2. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई।
17	पिपाड़ सिटी	BLC-N 169 PIPAR CITY	दल .1	45	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. 16 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन एवं जल आपूर्ति की समस्या पाई गयी।
			दल .2	30	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. 16 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन एवं जल आपूर्ति की समस्या पाई गयी।
18	पिपाड़ सिटी	BLC-E 122 PIPAR CITY	दल .1	30	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. 15 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन एवं जल आपूर्ति की समस्या पाई गयी।
			दल .2	30	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. 20 प्रतिशत आवासों में विद्युत कनेक्शन एवं जल आपूर्ति की समस्या पाई गयी।
19	इटावा	BLC N 186 DUs	दल .1	45	NIL
			दल .2	29	NIL
20	कोटा	BLC NEW	दल .1	43	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे

					बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 4. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई है। 5. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सीएलटीसी कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया गया। 6. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये गये। 7. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 8. नगरीय निकायों/कार्यकारी एजेन्सियों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके समाधान की निश्चित अवधि नही है। 9. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अधिकांश लाभार्थियों को आवास पूर्ण होने के काफी समय पश्चात भी आवास के लिये स्वीकृत होने वाली राशि प्राप्त नही हुई है। 10. अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खाते पहली किस्त प्राप्त होने के बाद से freez कर दिये गए हैं जो आदिनांक तक पुनः प्रारम्भ नही किये गए हैं। इस कारण लाभार्थियों को किस्ते प्राप्त नही हुई है।
			दल .2	43	1. लाभार्थियों में जागरूकता नही है। 2. मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता नही है। 3.योजना में अजा/अजजा/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ट्रांसजेन्डर/हाथ स मैला ढोने वाले/महिलाओ आदि का समावेश नही किया गया है। 4. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 5. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 6. लाभार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है। 7. स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना की विस्तृत जानकारी मय वित्तीय जानकारी के साथ सार्वजनिक नही की गई है। 8. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 9. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सीएलटीसी कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया गया। 10. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये गये। 11. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 12. नगरीय निकायों/कार्यकारी एजेन्सियों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके समाधान की निश्चित अवधि नही है। 13. लाभार्थियों को किस्त के भुगतान सम्बन्धित समस्याएं है। 14. सी.एल.टी.सी सदस्य का पद खाली होने के कारण योजना के सफल क्रियान्वयन में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हो रही है।

			दल .3	43	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गई है। 4. आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानकों एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही हुए हैं। 5. लाभार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है। 6. स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना की विस्तृत, जानकारी मय वित्तीय जानकारी के साथसार्वजनिक नही की गई है। 7. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 8. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई है। 9. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सीएलटीसी कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया गया। 10. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये गये। 11. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 12. नगरीय निकायों/कार्यकारी एजेन्सियों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके समाधान की निश्चित अवधि नही है। 13. लाभार्थियों को किस्त के भुगतान सम्बन्धित समस्याएं है। 14. कुछ लाभार्थियों को एक भी किस्त का भुगतान प्राप्त नही हुआ है।
			दल .4	43	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गई है। 4. लाभार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है। 6. स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना की विस्तृत, जानकारी मय वित्तीय जानकारी के साथसार्वजनिक नही की गई है। 7. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 8. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई है। 9. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सीएलटीसी कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया गया। 10. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये गये। 11. शिकायत निवारण पर तंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 12. नगरीय निकायों/कार्यकारी एजेन्सियों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके समाधान की निश्चित अवधि नही है। 13. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अधिकांश लाभार्थियों को

					आवास पूर्ण होने के काफी समय पश्चात भी आवास के लिये स्वीकृत होने वाली राशि प्राप्त नही हुई है। 14. अधिकांश लाभार्थियों के बैंक खाते पहली किस्त प्राप्त होने के बाद से तिमम्र कर दिये गए हैं जो आदिनांक तक पुनः प्रारम्भ नही किये गए हैं। इस कारण लाभार्थियों को किस्ते प्राप्त नही हुई है। 15. कुछ लाभार्थियों को एक भी किस्त का भुगतान प्राप्त नही हुआ है।
21	रामगज मण्डी	**BLC-N 218 RAMGAN J MANDI**	दल .1	31	NIL
			दल .2	31	NIL
			दल .3	30	NIL
22	सांगोद	**BLC-N 167 SANGOD**	दल .1	45	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3. 25 अंकेक्षित आवासों में से 09 आवासों में बिजली एवं पानी संबंधी समस्या पाई गयी।
			दल .2	25	1. कुछ आवासों में बिजली कनेक्शन नही है। 2. कुछ आवासों में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है। 3. अधिकांश आवासों में बिजली एवं पानी की समस्या है जिसे वार्ड सभा में रखा गया।
23	नागौर	**BLC E-255 NAGAUR REVISED**	दल .1	45	1. 05 आवासों पर सूचना बोर्ड नही लगा हुआ था।
			दल .2	21	1. 03 आवासों पर सूचना बोर्ड नही लगा हुआ था।
24	पाली	**BLC New Project for EWS329**	दल .1	46	NIL
			दल .2	45	NIL
25	सवाई माधोपुर	**BLC-N-204-Sawaimad hopur**	दल .1	45	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 4. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई है। 5. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये। 6. नगरीय निकायों/कार्यकारी एजेन्सियों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके समाधान की निश्चित अवधि नही है।
			दल .2	25	1. लाभार्थियों, CBO/CSO/ सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया। 2. इन समूहों के साथ परामर्श की प्रकृति एवं आवृति नही है। 3. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 4. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर कार्यवाही नही की गई है। 5. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये उपाय नही किये।
26	टोडा रायसिंह	**BLC New Project for 157**	दल .1	45	1. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यो वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 2. कुछ आवासों पर सूचना बोर्ड अंकित नही होने के साथ प्लास्तर एवं खिड़की, दरवाजे नही थे।
			दल .2	27	1. कुछ आवासों पर सूचना बोर्ड अंकित नही होने के साथ

					प्लास्तर एवं खिड़की, दरवाजे नही थे। 2. लाभार्थियों द्वारा अन्तिम किस्त रू. 30000 का भुगतान प्राप्त नही होना बताया गया।
			67	2391	

BLC N-140 भवानीमण्डी (08.03.2024)

BLC N-120 लाखेरी (07.03.2024)

BLC N-140 भवानीमण्डी (07.03.2024)

BLC N-120 लाखेरी (08.03.2024)

वार्ड सभा BLC N-840 राजाखेड़ा (14.03.2024)

वार्ड सभा BLC NEW कोटा (14.03.2024)

9. परियोजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताओं का प्रतिशत

क्र.सं.	अनियमितता	प्रतिशत (26 परियोजनाएं = 100%)
01.	जागरूकता **(Awareness)** – लाभार्थियों में जागरूकता नहीं है। मिशन से लाभार्थी को उसके अधिकारों के बारे मे जागरूकता नही है।	11.54%
02	समावेश **(Inclusion)** – आवास योजना में अजा/अजजा/पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक/अलग रूप से सक्षम व्यक्ति/ट्रांसजेन्डर/हाथ से मैला ढोने वाले/महिलाओं आदि का समावेश नही किया गया है।	3.85%
03	भागीदारी **(Participation)** – लाभार्थियों, **CBO/CSO/** सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर से योजना सबंधित परामर्श नही किया गया है।	73.08%
04	प्रभावशीलता और दक्षता **(Effectiveness and Efficiency)** – 1. सही प्रकार के लाभार्थियों की पहचान नही की गयी है। 2. आवास निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित मानकों एवं विस्तृत जानकारी में पूर्ण नही किया गया है। 3. लाभार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में परियोजना संबंधी सेवाओं से संतुष्ट नही है।	19.23% 11.53% 11.53%
05	पारदर्शिता **(Transparency)** – स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना की विस्तृत, जानकारी मय वित्तीय जानकारी के साथ सार्वजनिक नही की गई है।	11.53%
06	गुणवत्ता निगरानी **(Quality and Monitoring)** – 1. परियोजना कार्यान्वयन में शामिल सदस्यों से भिन्न सदस्यों वाले किसी तकनीकी समूह/समिति का अस्तित्व नही है। 2. परियोजना गतिविधियों की समीक्षा और पायी गई कमियों पर की गई कार्यवाही नही की गई है। 3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/सी.एल.टी.सी. कर्मचारी द्वारा परियोजना स्थलों का दौरा नही किया जाता है।	46.15% 30.77% 19.23%
07	जवाबदेही **(Accountability)** – 1. कदाचार और भ्रष्टाचार से बचने के लिये किये गये उपाय नही किये गए है। 2. शिकायत निवारण परतंत्र और शिकायत निवारण के लिये मौजूदा तंत्रों के बारे में जागरूकता नही है। 3. नगरीय निकायो/कार्यकारी एजेन्सीयों को भेजी गई शिकायतों के उदाहरण और उनके सामाधान की अवधि निर्धारित नही है।	23.08% 0% 0%
08	मुद्दे और शिकायत **(Issues and Complaints)** – अनसुलझे मुद्दे और शिकायत है।	7.69%
09	आधारभूत सुविधाएं **(Basic Facilities)** – 1. आवास में बिजली कनेक्शन नही है। 2. आवास में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध नही है।	53.85% 42.31%
10	अन्य	–

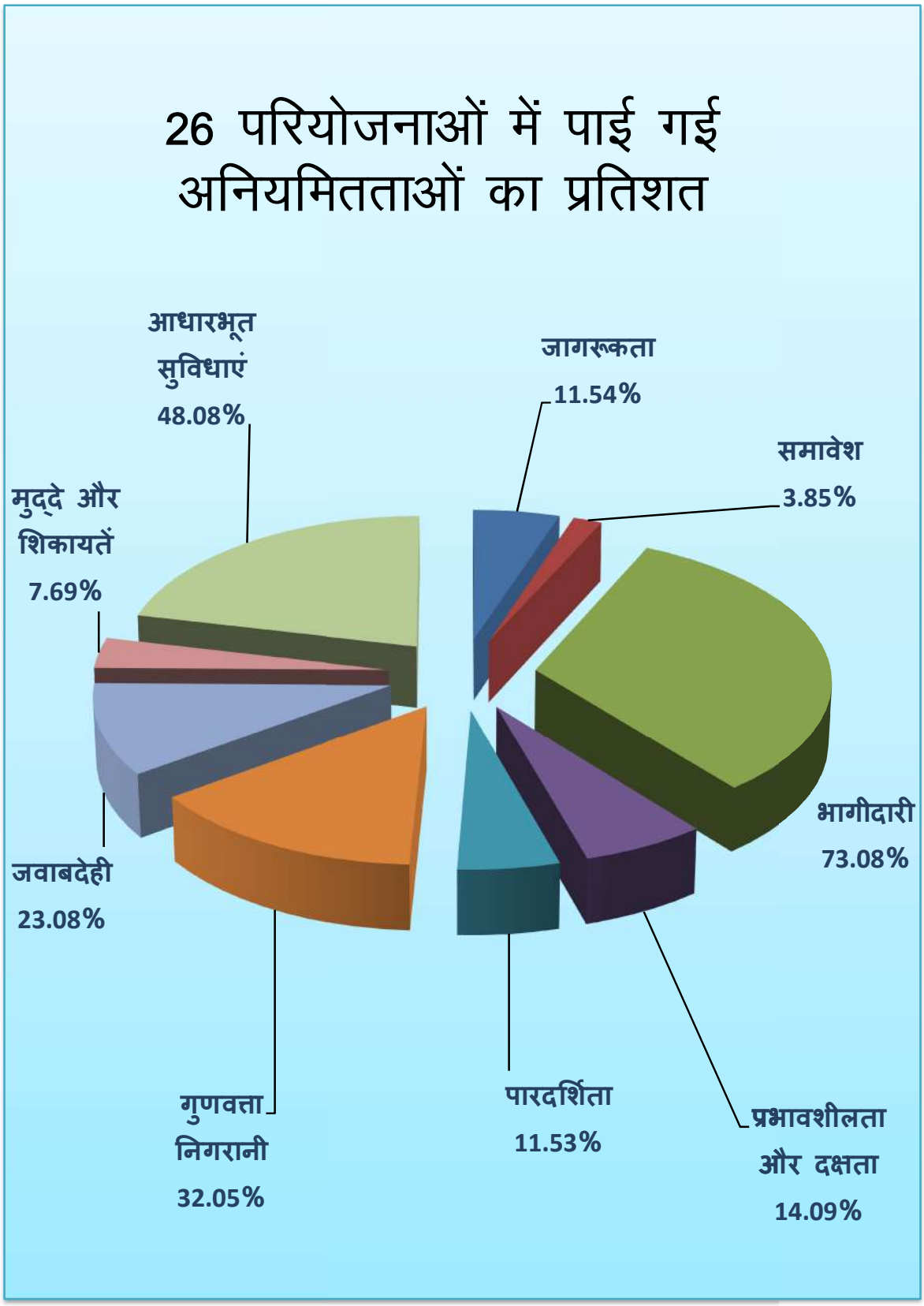
26 परियोजनाओं में पाई गई अनियमितताओं का प्रतिशत
आधारभूत सुविधाएं 48.08%
जागरूकता 11.54%
समावेश 3.85%
मुद्दे और शिकायतें 7.69%
भागीदारी 73.08%
जवाबदेही 23.08%
गुणवत्ता निगरानी 32.05%
पारदर्शिता 11.53%
प्रभावशीलता और दक्षता 14.09%

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष योग्यजन, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित अल्पसंख्यक शहरी लोगों को किफायती दरों पर सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल आवास उपलब्ध करवाना है जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सुविधा भी उपलब्ध है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये जागरूकता, समावेश एवं भागीदारी का होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत BLC आवासों के 17 जिलों में 26 परियोजनाओं के 2391 पूर्ण निर्मित आवासों के सामाजिक अंकेक्षण से यह तो सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष योग्यजन, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक लोगों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध तो कराए हैं परन्तु लाभार्थियों में जागरूकता का अभाव तथा लाभार्थियों, CBO/CSO, सह कार्यान्वयन एजेन्सियों जैसे बैंक/बिल्डर आदि से योजना सम्बन्धी परामर्श न होना, कुछ आवासों में मूलभूत सुविधाएं जैसे नल व बिजली कनेक्शन का अभाव, दरवाजे एवं खिड़कियों का अभाव, लाभार्थियों को किस्त के भुगतान का अभाव, सूचना बोर्ड का अभाव आदि कमियां होने से कुछ लाभार्थियों द्वारा आवासों को उपयोग मे नही लिया जा रहा है। इन कारणों से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत BLC आवासों का समुचित लाभ कही न कही पूर्ण रूप से लाभार्थियों को नही मिल रहा है।

PMAY-U